फर्द अहकाम

रामचन्द्र बैरवा बनाम भगवान सहाय वगै0

दावा पत्र संख्या: 195 /2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.07.2024	वकील वादी ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकार, नामान्तकरण खोले जाने एवं तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 19.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 4790-93 5/7/24
	12/7/24	पत्रावली प्रारम्भ बाबत वाद पत्र की विज्ञप्ति जारी का पेश होने पर तलब की गई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित प्रारम्भ पर वादी को सुना गया प्रार्थी/वादी के द्वारा पेश प्रारम्भ स्वीकार किया जाता है वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली केवल हमारे रोजनामचे से नाम खेलाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	रामचन्द्र (वादी) (सदप्रकाश शर्मा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested